



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ



Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc.lko-mef@gov.in, goimofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू0पी0/07/118/2021/एफ0सी0

719

दिनांक : 04.02.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
17, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ0प्र0।

Online Proposal No. FP/UP/Rail/41878/2019

विषय: पूर्वोत्तर रेलवे औडिहार-जौनपुर रेलवे सेक्शन के अंतर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर(किमी0 1.900 से 10.900 तक) में प्रभावित 6.50572 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 09 वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी0 10.900 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1337 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति अर्थात् कुल 49.92276 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1346 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं०-12/81-2-2022-800(54)/2021, लखनऊ,
दिनांक-05.01.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न विन्दु पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराए ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके-

As per the DSS analysis still around 20 ha. area is not suitable for plantation. The net suitable area for plantation is $(70.06 + 15.0) = 85.06$ ha., which is less than the actual required CA land area.

Thus, additional area of around 20 ha. may be proposed for CA and accordingly revised documents to be submitted to this office.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. अति० मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. प्रभागीय निदेशक, गाजीपुर एवं जौनपुर।
4. अवर अभियन्ता/कार्य/निर्माण/बी0एस0वी0/उत्तर रेलवे वाराणसी।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 2318 /11-सी-FP/UP/Rail/41878/2019, लखनऊ, दिनांक: फरवरी 08, 2022

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, गाजीपुर एवं जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अवर अभियन्ता/कार्य/निर्माण/बी0एस0वी0, उत्तर रेलवे, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।